क्रम संख्या–100 (3) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 21 अक्टूबर, 2020 ई0

आश्विन 29, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 380/XXXVI (3)/2020/54(1)/2020

देहरादून, 21 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2020'** पर दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का **अधिनियम संख्याः 24 वर्ष, 2020** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24, वर्ष 2020)

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के इक्हत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित्त नियत करें।

धारा 4 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 4 में उपधारा (3) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

"**(ग)** राज्य का राजकोषीय घाटा जी0एस0डी0पी0 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के 3 प्रतिशत की वार्षिक सीमा तक स्थिरता प्रदान करने वाला होगा। वर्ष 2020–21 के लिये निम्नलिखित राज्य स्तरीय सुधारों को लागू करने पर राज्य को जी0एस0डी0पी0 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के 2 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा प्राप्त हो सकेगी:–

(i) 0.50 प्रतिशत तक शर्तरहित वृद्धि।

(ii) 1 प्रतिशत वृद्धि 0.25 प्रतिशत के 04 अंशों में विभाजित होगी, जिसमें प्रत्येक अंश स्पष्ट रूप से निम्नलिखित विनिर्दिष्ट मापनीय (Measurable) सुधार से जुडा होगा:–

(क) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कियान्वयन (0.25 प्रतिशत);

(ख) ईज ऑफ डुईंग बिजनेस सुधार (0.25 प्रतिशत);

(ग) शहरी स्थानीय निकाय/यूटीलिटी सुधार (0.25 प्रतिशत);

(घ) ऊर्जा क्षेत्र सुधार (0.25 प्रतिशत);

सुधार कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट– '1' एवं '2' में दिया गया है।

(iii) प्रस्तर– (ii) में दिये गये उपर्युक्त 04 सुधारों में से 03 को प्राप्त करने पर अवशेष 0.50 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त हो सकेगी।"

परिशिष्ट–'1'

1. **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था का कियान्वयन** – यह व्यवस्था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। विशेषतः प्रवासी मजदूरों एवं उनके परिवारों को पूरे देश के अन्दर किसी भी Fair Price Shops (FPS) से राशन की सुविधा उपलब्ध कराते हुए अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभ पंहुचाने तथा फर्जी/डुप्लीकेट/अयोग्य कार्ड धारकों को हटाने में सहायक होगी। इस प्रकार यह कल्याण को बढावा देगी तथा लीकेज को कम करेगी। राशन कार्ड की निर्बाध अन्तर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने हेतु सभी राशन कार्डों की आधार सीडिंग कराये जाने के साथ ही साथ सभी Fair Price Shops (FPS) पर इलैक्ट्रोनिक प्वांइट ऑफ सेल (e-pos) को स्थापित करते हुए लाभार्थियों का बायो–मैट्रिक प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। इसलिये यह निर्णय हुआ है कि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किये जाने पर सकल घरेलू राज्य उत्पाद के 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी जायेगी–

(i) राज्य में सभी राशन कार्ड एवं लाभार्थियों की आधार सीडिंग ।

(ii) राज्य में सभी Fair Price Shops (FPS) का ऑटोमेशन।

राज्य को उपर्युक्त कार्य दिनांक 31.12.2020 तक पूरा कर लेना चाहिये। जो राज्य उक्त कार्य को पहले पूरा कर लेंगे या पूरा कर चुकें हैं, उन्हें तुरन्त अतिरिक्त उधार सीमा का लाभ उपलब्ध होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इस हेतु नोडल विभाग होगा जो इस दिशा में राज्य की प्रगति का आंकलन करते हुए अतिरिक्त उधार सीमा हेतु संस्तुति देगा। उक्त संस्तुति व्यय विभाग (DoE) को प्रेषित किये जाने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 15.01.2021 होगी।

2. **ईज ऑफ डुईंग बिजनेस का जिला स्तर पर कियान्वयन एवं लाईसेंसिग सुधार**– ईज ऑफ डुईंग बिजनेस देश में निवेश अनुकूल व्यवसायिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और ईज ऑफ डुईंग बिजनेस में सुधार भविष्य में राज्य अर्थ व्यवस्था की तीव्र उन्नति में सहायक होगा। इसलिए ईज ऑफ डुईंग बिजनेस का जिला स्तर पर कियान्वयन एवं लाईसेंसिंग सुधार को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देशय से यह निर्णय हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद के 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति निम्नलिखित सभी गतिविधियों को पूरा किये जाने पर दी जायेगी–

(i) उद्योग एवं अन्तरिक व्यापार प्रोन्नयन विभाग द्वारा सूचित "District Level Business Reform Action Plan" का प्रथम मूल्यांकन राज्य द्वारा पूरा कर लिया जायेगा।

(ii) उद्योग एवं अन्तरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग द्वारा परिचालित सूची में उपलब्ध अंकित विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के सम्बन्ध में सर्टीफिकेट/अनुमोदन/लाईसेन्स के नवीनीकरण की आवश्यकता को राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा (परन्तु स्वचालित गैर विभेदकारी तरीके से केवल तार्किक शुल्क वसूली की अनुमति होगी, यदि वह

पारदर्शी ऑनलाईन, गैर विभेदकारी तथा स्वचालित तरीके से किया गया हो।) अतिरिक्त उधार सीमा की अर्हता हेतु अनुलग्नक–2 में उल्लिखित मदों के सम्बन्ध में नवीनीकरण की आवश्यकता को दिनांक 31.01.2021 तक समाप्त किया जाना चाहिये।

(iii) अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग एवं अन्तरिक व्यापार प्रोन्नयन विभाग द्वारा परिचालित सूची के अनुसार राज्य द्वारा कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीकृत यादृच्छिक निरीक्षण प्रणाली को कियान्वित किया जायेगा, जिसमें निरीक्षण हेतु निरीक्षकों की तैनाती केन्द्रीय स्तर से की जायेगी। किसी इकाई का निरीक्षण एक ही निरीक्षक से आगामी वर्ष में नहीं कराया जायेगा। निरीक्षण की पूर्व सूचना सम्बन्धित व्यवसायी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा निरीक्षण रिपोर्ट को अडतालिस (48) घटों के अन्दर अपलोड कर दिया जायेगा। पात्रता हेतु, कम से कम परिशिष्ट में उल्लिखित अधिनियम हेतु कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीकृत यादृच्छिक निरीक्षण प्रणाली को दिनांक 31.01.2021 तक पूर्ण किया जाना आवश्यक है। उद्योग एवं अन्तरिक व्यापार प्रोन्नयन विभाग अतिरिक्त उधारी की संस्तुति हेतु नोडल विभाग होगा इस हेतु अन्तिम तारीख 15.02.2021 होगी।

3. **स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण हेतु सुधार –** बेहतर लोक स्वास्थ्य एवं सफाई व्यवस्था के साथ ही अच्छे नागरिक बुनियादी ढ़ांचे को सक्षम बनाने के लिये, जो आर्थिक विकास एवं कल्याण को बढ़ावा देते हैं, शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों एवं सुविधाओं को बढाये जाने की आवश्यकता होने के दृष्टिगत यह निर्णय हुआ है कि राज्य सरकार को निम्नलिखित सुधार कार्य किये जाने पर वित्तीय वर्ष 2020–21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 0.25 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति होगी–

(i) राज्य सरकार (क) राज्य शहरी स्थानीय निकायों हेतु सम्पत्ति कर के फ्लोर रेट्स, जो प्रचलित सर्किल रेट्स के अनुरूप हो (जैसे–सम्पत्ति अन्तरण की दर हेतु दिशानिर्देश), (ख) जल आपूर्ति, जल निकासी एवं सीवरेज के उपयोगकर्ता शुल्क, जो वर्तमान मूल्य/गत मुद्रा स्फीति पर आधारित हो, हेतु फ्लोर रेट्स के सम्बन्ध में प्रावधान अधिसूचित करेगी।

(ii) राज्य सम्पत्ति कर/उपयोगकर्ता शुल्क के फ्लोर रेट्स में मूल्य वृद्धि के अनुसार समय–समय पर वृद्धि किये जाने हेतु सिस्टम बनायेगा।

इस सम्बन्ध में प्रगति का आकलन किये जाने एवं अतिरिक्त उधार सीमा की स्वीकृति दिये जाने हेतु आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, नोडल मंत्रालय होगा, जिसकी अन्तिम तारीख 15.01.2021 होगी।

4. **ऊर्जा क्षेत्र में सुधार** – राज्य सरकार को तीव्र प्रणालीगत सुधारों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि डिस्कॉम कम्पनियों की तरलता समस्या का उन्मूलन के साथ ही सबसिडी का लाभ किसानों/लक्षित लाभार्थियों को मिले तथा ऊर्जा क्षेत्र की हालत में सुधार हो। इस सम्बन्ध में निर्णय हुआ है कि निम्नलिखित गतिविधियों का कियान्वयन किये जाने की स्थिति में अतिरिक्त उधारी सीमा की स्वीकृति प्रदान की जायेगी–

(i) राज्य हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान में कुल कमी के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.05 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी जायेगी।

(ii) राज्य में आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्ति के बीच अन्तर (ACS-ARR gap) में कमी के लिये राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.05 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी जायेगी। (नोट–ACS-ARR के अन्तर की गणना में राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा शेष बकाया राशि को राजस्व से घटाया जायेगा।)

(iii) राज्य के सभी किसानों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली के स्थान पर उन्हें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) शुरू करने के लिये राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.15 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी जायेगी। राज्य सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष (2021–22) में ऐसी योजना बनायी जायेगी, जिसमें किसानों को मुफ्त बिजली के बजाय DBT के माध्यम से नकद हस्तांतरण किया जाय। जहां किसानों द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि से विद्युत शुल्क का भुगतान सीधे DISCOMS को किया जायेगा। उक्त से सम्बन्धित पात्रता प्राप्त किये जाने हेतु राज्य द्वारा (क) DBT योजना बनायी जायेगी और (ख) इस योजना को दिनांक 31.12.2020 तक कम से कम एक जिले में लागू किया जायेगा।

तकनीकी एवं वाणिज्यिक (AT&C) घाटे में कमी एवं आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्ति के बीच अन्तर में कमी के आकलन का आधार जनवरी, 2021 में राज्य द्वारा की गयी स्वघोषणा होगी। यद्यपि स्वघोषित आंकडे एवं वास्तविक प्राप्ति आकड़े के बीच किसी भी प्रकार की भिन्नता आगामी वित्तीय वर्ष में ऋण लेने के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। उक्त के सम्बन्ध में प्रगति का आंकलन करने और अतिरिक्त उधार सीमा की संस्तुति व्यय विभाग को किये जाने हेतु ऊर्जा मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा। व्यय विभाग (DoE) को संस्तुति प्रेषित किये जाने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 31.01.2021 होगी।

5. राज्य वित्तीय वर्ष 2020–21 में उपर्युल्लिखित 2 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा (पात्रता की सीमा के अन्तर्गत) का उपयोग कर सकेगा। इस सुविधा का उपयोग आगामी वर्षों हेतु अनुमन्य नहीं किया जा सकेगा।

परिशिष्ट– '2'

नवीनीकरण और केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली को हटाने का कार्यान्वयन–

नवीनीकरणः–

1– दुकानों और प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत
2– ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के प्रावधान के तहत ठेकेदारों के लिए लाइसेंस
3– कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत लाइसेंस
4– विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत
5– अंतर्राज्य प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 के तहत स्थापना का रजिस्ट्रीकरण
6– दवा निर्माण / बिक्री / भंडारण लाइसेंस
7– नगर निगमों द्वारा जारी ट्रेड लाइसेंस

निरीक्षण

1– समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
2– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
3– दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम
4– बोनस संदाय अधिनियम, 1965
5– मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
6– उपदान संदाय अधिनियम, 1972
7– ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
8– कारखाना अधिनियम, 1948
9– भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923
10– जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974
11– वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981
12– विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और नियमों के अन्तर्गत निरीक्षण

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

वैश्विक महामारी COVID-19 से बचाव हेतु लॉक डाउन लागू होने से राज्य के आर्थिक संशाधनो में कमी एवं अतिरिक्त खर्चो के कारण राज्य सरकार के संशाधनो को मजबूती प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के लिये निर्धारित राज्य स्तरीय सुधार लागू करने पर पूर्व में निर्धारित राजकोषीय घाटे की वार्षिक सीमा (सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3 प्रतिशत) में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 2 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि प्रदान की गयी। इस हेतु उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (3) में संशोधन किया जाना अपरिहार्य था। चूंकि तत्समय विधानसभा सत्र में नहीं थी। अतः 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (अध्यादेश सं0–09 वर्ष 2020) प्रख्यापित किया गया।

2– प्रस्तावित विधेयक उक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है तथा उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री